ई–मेल / महत्वपूण

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मण्डलीय अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
कानपुर / झाँसी / मेरठ / सहारनपुर / लखनऊ / वाराणसी / मिर्जापुर / आगरा / अलीगढ /
फैजाबाद / बस्ती / इलाहाबाद / चित्रकूट / बरेली / मुरादाबाद / देवीपाटन / आजमगढ।

संख्या 11फ / रा0ल0बा0 / 2015 / 3201 लखनऊ: दिनांक: 03 दिसम्बर, 2015

विषय:– **उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष के अन्तर्गत एसिड अटैक एवं लैंगिक हिंसा से संबंधित मेडिको प्रोटोकाल पर चिकित्साधिकारियों के मण्डलवार प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग 3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1884 / 60–3–2015, दिनांक 28.11.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा तृतीय चरण के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में अभी तक मात्र गोरखपुर मण्डल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है तथा शेष 17 मण्डलों हेतु प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि निम्नवत् है:

क्र0सं0	मण्डल का नाम	प्रशिक्षण तिथि	प्रशिक्षण के लिए आवंटित जनपद मुख्यालय
1	कानपुर एवं झाँसी	14 एवं 15 दिसम्बर, 2015	कानपुर नगर
2	मेरठ एवं सहारनपुर	18 एवं 19 दिसम्बर, 2015	मेरठ
3	लखनऊ जनपद	04 एवं 05 फरवरी, 2016	लखनऊ
4	वाराणसी एवं मिर्जापुर	21 एवं 22 जनवरी 2016	वाराणसी
5	आगरा एवं अलीगढ	04 एवं 05 फरवरी, 2016	आगरा
6	फैजाबाद एवं बस्ती	12 एवं 13 फरवरी, 2016	फैजाबाद
7	इलाहाबाद एवं चित्रकूट	26 एवं 27 फरवरी, 2016	इलाहाबाद
8	बरेली एवं मुरादाबाद	04 एवं 15 मार्च, 2016	बरेली
9	देवीपाटन	08 एवं 09 मार्च, 2016	गोण्डा
10	आजमगढ	11 एवं 12 मार्च, 2016	आजमगढ
11	लखनऊ मण्डल के अन्य जनपद सीतापुर, रायबरेली, हरदोई एवं उन्नाव	18 एवं 19 मार्च, 2016	लखनऊ

इस सम्बन्ध में कहना है कि संबंधित प्रशिक्षण में मण्डल की समस्त महिला चिकित्सा अधिकारी, जनपद स्तरीय चिकित्सालय से दो पुरुष चिकित्सक भाग लेगें, तथा जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / अधीक्षक / अधीक्षिका प्रथम दिन के प्रशिक्षण के पूर्वान्ह सत्र में भाग लेगें। शेष समस्त चिकित्सक दो दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लेगें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने मण्डल में निर्धारित तिथियों में समस्त

क्रमशः पेज–2 / ....

चिकित्सकों को भाग लेने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण में भाग लेने वाले चिकित्सकों को यात्रा भत्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(एम0आर0मलिक)
निदेशक (चिकित्सा उपचार)

पृष्ठांकन संख्या 11फ/रा0ल0बा0/2015/3202-08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग 3, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश शासन, चिकि अनुभाग-1
3. स्टाफ आफीसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. संबंधित मण्डलों के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित मण्डलों के समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
5. उप सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन, को इस आशय प्रेषित उपरोक्त मण्डलों के समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारियों को अपने स्तर से सूचि करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (चिकित्सा उपचार)